

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 304/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 29.09.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 29.09.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01-थाना पवई, आजमगढ़ : किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 29.03.2024 को वादी मुकदमा थाना पवई द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 27.03.2024 को अभियुक्त बिरप्पन उर्फ बादल पुत्र दयाशंकर निवासी ग्राम मई बाजार थाना बक्शा जनपद जौनपुर वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 0093/2024 धारा 363,366 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया ।

गिरफ्तारी/बरामदगी का विवरण- दिनांक 28.09.2024 को उ0नि0 गोपाल प्रसाद मौर्य मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बिरप्पन कुमार बिन्द उर्फ बादल पुत्र दयाशंकर निवासी ग्राम मई बाजार थाना बक्शा जनपद जौनपुर उम्र करीब 22 वर्ष को बागबहार पुलिया से समय करीब 20.00 बजे गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 गोपाल प्रसाद मौर्य, हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह, का0 अशफाक अंसारी, म0का0 विजेता पाण्डेय थाना पवई जनपद आजमगढ़।



02-थाना सिधारी, आजमगढ़ : फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 30.05.2016 को बृजेन्द्र कुमार सिंह निवासी 1041 महानगर थाना महानगर लखनऊ के बड़े भाई अशोक कुमार सिंह को आटो चालक ने लापरवाहीपूर्वक आटो चलाकर दुर्घटना ग्रस्त कर दिया, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना महानगर लखनऊ पर मु0अ0सं0- 202/2016 धारा 279, 304ए, 337, 338 भादवि0 बनाम आटो चालक के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमें में आटो चालक राकेश कुमार द्वारा जनपद आजमगढ़ से बना ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत किया गया जिसकी जांच आरटीओ आजमगढ़ से कराया गया तो उक्त ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी पाया गया।

➔ फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के सम्बन्ध में तत्कालीन सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आजमगढ़ द्वारा थाना सिधारी पर सूचना दिया गया कि 1-राकेश कुमार पुत्र वेद प्रकाश, निवासी सैदपुर खुर्द मस्ती बारदोई (हरदोई) वर्तमान पता बिलरियागंज आजमगढ़ ने फर्जी लाइसेंस अभिलेख तैयार करके वेण्डर 1-सन्दीप यादव पुत्र गिरजा प्रसाद यादव निवासी एकडंगी पोस्ट कोयलसा, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ से फर्जी बैकलाग फीडिंग कराकर लाइसेंस की कम्प्यूटरीकृत द्वितीय प्रति जारी प्राप्त कर लिया है। जिसके सम्बन्ध में फर्जी अभिलेख तैयार करने तथा इसमें सहयोग करने एवं कूटचिंत अभिलेख तैयार करके कम्प्यूटर में फीडिंग करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 140/2017 धारा 419/420/467/468 भादवि0 पंजीकृत कर दौरान विवेचना मुकदमा में धारा 65/66 आईटी एक्ट की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 29.09.2024 को प्र0नि0 वीरेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संदीप कुमार यादव पुत्र गिरजा प्रसाद यादव साकिन एकडंगी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष को समय करीब 10:05 बजे नरौली तिराहे से गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्र0नि0 वीरेन्द्र कुमार थाना सिधारी आजमगढ़
2. कां0 मुकुन्द लाल मिश्रा थाना सिधारी आजमगढ़
3. कां0 हरिभान सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
4. म0कां0 शिवानी सरोज थाना सिधारी आजमगढ़

